

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 10] नई दिल्ली, सोनवार, जनवरी 8, 1979/पौष 18, 1900
No. 10] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 8, 1979/PAUSA 18, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के
रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना सं. 4-आईटीसी(पी एन)/79

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 1979

आयात व्यापार निबंधन

विषय :—तांबे का आयात (अनगढ़)—1978-79 के लिए आयात नीति ।

मिसिल सं. आईपीसी/43/4/78.—1978-79 की आयात नीति के पैरा 67-क
(अध्यात-10) और परिशिष्ट 33 की ओर ध्यान दिलाया जाता है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर, यह निश्चय किया गया है कि सार्वजनिक सूचना
सं. 69-आईटीसी(पी एन)/78, दिनांक 28 सितम्बर, 1978 के अतिरिक्त में, 1 जनवरी, 1979

से पात्र वास्तविक उपभोक्ता अपनी आवश्यकताएँ सीधे ही खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास पंजीकृत कराएंगे। हिन्दुस्तान कापर लि. अपने पास उपलब्ध तांबे की सूची अलग से तैयार करेगा, जिसमें उन वास्तविक उपभोक्ताओं के नाम दिए जाएंगे जिन्हें तांबे का संभरण किया जाएगा और तदनुसार इसमें प्रत्येक को संभरित की जाने वाली मात्रा का भी संकेत किया जाएगा। हिन्दुस्तान कापर लि. द्वारा सूची प्रत्येक मास के आरम्भ में खनिज तथा धातु व्यापार निगम को भेजी जाएगी। इस सूची में प्रदर्शित एककों के मामले में, खनिज तथा धातु व्यापार निगम केवल बकाया मात्रा का ही संभरण करेगा।

का. में. शैशींद्र, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & COOPERATION

(Department of Commerce)

Public Notice No. 4-ITC(PN)/79

New Delhi, the 8th January, 1979

IMPORT TRADE CONTROL

Subject : **Import of Copper (Unwrought)—Import Policy for 1978-79.**

F. No. IPC/43/4/78.—Attention is invited to para 67-A (Chapter 10) and Appendix 33 of the Import Policy, 1978-79.

2. On a review of the position, it has been decided, in supersession of the Public Notice No. 69-ITC(PN)/78, dated the 28th September, 1978, that with effect from 1st January, 1979 eligible Actual Users will register their requirements with the MMTC directly. The Hindustan Copper Limited will separately draw up a distribution list of the quantity of copper available with them, giving the names of the Actual Users to whom they will supply copper and the quantity to be supplied to each accordingly. The list will be sent by Hindustan Copper Limited to MMTC at the start of each month. In the case of units appearing in this list, the MMTC will supply only the balance quantity.

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports